FORM NO. III

APP A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
जिला- बून्दी (राज.)

मुकदमा सत्यनारायण भरोसी

01/अपील/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/6/22	वाद पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 LR Act अपील द्वारा वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि० 16.9.22 को पेश हो। [signature]	
16.9.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 6.1.23 को पेश हो। [signature]	
6.1.23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित है। न्यायालय से रुक-रुक कर 3 बार आवाजें लगवायी गई। इसके बाद भी बार-बार आवाजें लगवायी गई। लेकिन अपीलान्ट या वकील अपीलान्ट में से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अतः न्यायालय इस अपील प्रा०पत्र को जेरकार रखना उचित नही समझता है। अतः अपील प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.06.30 18:03:25 IST
Reason: SelfAttested